

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/26/2015/19/यो 6211
प्रति,

भोपाल दिनांक 12/10/2015

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 123वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 123वीं बैठक जो दिनांक 08.09.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार कार्य की लागत 1.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट पुस्तिका में प्रकाशित करवाना आवश्यक न होने के कारण दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	ग्वालियर	24/5054	डबरा-चीनोर मार्ग के किमी0 1/8, 1/10 एवं जेल रोड के किमी0 3/10 में नाका निर्माण	0.43	57.07
2	उज्जैन	24/5054	कनासिया पहुंच मार्ग	0.60	96.32
3	उज्जैन	24/5054	तराना नगर से मालीपुरा से तराना बाजार मार्ग	0.60	98.61
4	सीहोर	24/5054	पंचायत भवन से लसुडिया ग्राम तक मार्ग निर्माण	1.50	98.20
5	ग्वालियर	24/5054	दांगियापुरा से बखोडी मार्ग	1.30	79.08


2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्राक्कलनित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र-05 प्राक्कलन

Sh. B. B. B.
S
17/10



म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0


/2/

पृ० क्रमांक एफ-43/26/2015/19/यो 62/2
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 13/10/2015

- 1- मुख्य अभियंता (उत्तर परि०) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
- 2- मुख्य अभियंता, (उज्जैन परि०) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
- 3- मुख्य अभियंता (राज० परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 4- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 04 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य


13.10.15
सचिव
मोप्र० शासन लो०नि०वि०

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

कमाक एफ-43/26/2015/19/यो 6207

भोपाल दिनांक 13/10/2015

प्रति,

प्रमुख अभियंता -
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 123वीं बैठक।

—0—


राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 123वीं बैठक जो दिनांक 08.09.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	शिवपुरी	24/5054	मोहना पोहरी मार्ग के कि. मी. 41 में स्थित ग्राम बैराढ के शहरी क्षेत्र में मजबूतीकरण	1.00	125.72
2	हरदा	24/5054	पलासनेर से नीमगांव मार्ग	4.08	148.22
3	सीहोर	24/5054	सीहोर नगरीय क्षेत्र के सेकड़ाखेड़ी मार्ग का भोपाल सीहोर बायपास मार्ग तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य	2.00	760.44
4	भोपाल	24/5054	ग्राम बिलखिरिया से माँ कंकाली मंदिर का उन्नयन	4.50	604.52
5	ग्वालियर	24/5054	मोहना ए. बी. रोड से ककेटो बांध मार्ग	8.00	619.26

PATIL/N/SFC-A-614

She Arun

19/10



15/10/15

15/10/15

14/10/15

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में भोंग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय-स्वीकृति में प्राक्धानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ सरल क्रमांक-4 में अंकित कार्य का विविध व्यय में रूपये 8.00 लाख कम किया जाये।

5/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाय।

सहपत्र- ~~05 प्राक्कलन~~

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

भोपाल दिनांक 13/10/2015

पृ0 क्रमांक एफ-43/26/2015/19/यो 6208
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता (राज0 परि0) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 2- मुख्य अभियंता (उत्तर परि0) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर।
- 3- निज सचिव, माच0. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0